17-5-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कान्फ्रेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22-6-22 को पेश हों।
22-6-22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित इन्तजार जवाब सरकार पत्रावली 5-7-22 को पेश हो।
5-7-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उप० पेशकार सरकार अनुपस्थित. वादी की शिनाख्ती हेतु TDR को तहरीर जारी हो. वास्ते रिपोर्ट व जवाब सरकार पत्रावली 26-7-22 को पेश हो।
26-7-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित जवाब सरकार बन्द किया जाता है। वादी की ओर से शपथपत्र पेश किया गया सुन लिये गये. वास्ते आदेश 28-7-22 को पेश हो।

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-7-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बूंदी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

60/दावा/2021
दायरा दिनांक 23.07.2021

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. हीरालाल पुत्र स्व0 बरधा जाति गुजर निवासी डांगाहेडी इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. पार्वतीबाई पत्नि लालचन्द पुत्री बरधा जाति गुजर निवासी डांगाहेडी इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. नैनकीबाई पत्नि स्व0 बरधा जाति गुजर निवासी डांगाहेडी इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

— प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट।

उपस्थित :— 1.श्री एच0आर मीना एडवोकेट(वादी)।

—: निर्णय :— **दिनांक :— 28.07.2022**

वादीगण द्वारा वाद—पत्र प्रस्तुत किया गया कि खातेदारी कृषि भूमि खसरा 481 रकबा 0.66 हैक्ट0 ,491 रकबा 0.58 हैक्ट0, ख0सं0 492 रकबा 0.47 हैक्ट0 वाके ग्राम डांगाहेडी तहसील इन्द्रगढ में स्थित है।उपरोक्त वर्णित खातेदारी कृषि भूमि में वादीगण हिस्सा 1/4 के टिनेन्ट खातेदार है जिसके राजस्व रिर्कोड में वादीगण 1 लगायत 3 के पिता बरधा पुत्र नन्दा वादी क्रम 4

के पति स्व0 बरधा पुत्र नन्दा के नाम दर्ज रिर्कोड है।जबकि वादीगण 1 लगायत 3 के पिता का नाम एवं प्रतिवादी क्रम 4 के पति का वास्तविक नाम सरकारी दस्तावेजों अनुसार बरधा पुत्र चन्दा दर्ज होना चाहिए था।वादीगण के पिता व पति का नाम राजस्व रिर्कोड में गलत दर्ज होने के कारण वादीगण को सरकारी योजनाओं के लाभ से वचिंत होना पड रहा है और अन्त में निवेदन किया कि वादीगण 1 लगायत 3 के पिता व वादी क्रम 4 के पति का वास्तविक नाम बरधा पुत्र चन्दा राजस्व रिर्कोड में दर्ज किया जावे।

वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा को जवाब पेश नही किया गया वादीगण ने अपने वाद–पत्र के सर्मथन में नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खाता संख्या 121 ग्राम डांगाहेडी नकल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 खाता संख्या 128 मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं सहखातेदारों के साक्ष्य शपथ–पत्र पेश किये गये।

वादीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी वादीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वाद–पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विरासत में खोले गये नामान्तकरण से खाता संख्या 121 मे वादीगण 1 लगायत 3 के पिता व प्रतिवादी क्रम 4 के पति का नाम बरधा पुत्र चन्दा के स्थान पर बरधा पुत्र नन्दा दर्ज कर दिया गया।जबकि वादीगण 1 लगायत 3 के पिता का नाम बरधा पुत्र चन्दा एवं प्रतिवादी क्रम 4 के पति का नाम बरधा पुत्र चन्दा दर्ज किया जाना था जिसको राजस्व रिर्कोड में शुद्व किया जावे।

हमारे द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खाता संख्या 121 ग्राम डांगाहेडी के अवलोकन से विरासतन में खोला गया नामान्तकरण दिनांक 21.06.2019 से हल्का पटवारी द्वारा वादीगण 1 लगायत 4 के पक्ष मे भरा गया एवं ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.09. 2019 को ग्राम सभा में स्वीकृत किया गया खाता संख्या 128 के सहखातेदार व वादीगण के शपथ–पत्र के अनुसार बरधा पुत्र चन्दा का सहवहन से बरधा पुत्र नन्दा अकिंत हो गया जो गलत है।इस प्रकार एक ही ग्राम डांगाहेडी के राजस्व रिर्कोड में अकिंत दो अलग–अलग खातों में वादीगण के पिता का नाम पृथक–पृथक अकिंत होना पाया जाता है।अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 खाता संख्या 128 वाके ग्राम डांगाहेडी तहसील इन्द्रगढ के राजस्व रिर्कोड अकिंत नाम बरधा पुत्र नन्दा के स्थान पर बरधा पुत्र चन्दा उर्फ नन्दा दर्ज किया जाकर राजस्व को दुरूस्त किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ को नियमतः वारिसान की जांच कर विरासत के नामान्तकरण की कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता है।तद्नानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)